

केन्द्रीय भंडार
भा.कृ.अ.प.- राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान
करनाल - हरियाणा -132001

फा.स.:4-2/आम नीलामी/2024-25/के.भ./

दिनांक: 25.10.2024

परिपत्र

संस्थान के सभी प्रभागो, अनुभागो के अध्यक्षों, प्रभारीयो को सूचित किया जाता है, कि संस्थान में अनुपयोगी एवं अप्रचलित निन्दित वस्तुओं/ सामग्रियों के निष्पादन करने हेतु सार्वजनिक आम नीलामी माह दिसम्बर 2024 में प्रस्तावित है। अतः संस्थान के सभी प्रभागो, अनुभागो के अध्यक्षों, प्रभारीयो से अनुरोध है, कि अनुपयोगी एवं अप्रचलित निन्दित वस्तुओं/ सामग्रियों जैसे: कंप्यूटर-प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीने, विभिन्न प्रकार के प्रयोगशाला उपकरण, मशीनरी, लोहे एवं लकड़ी के फर्नीचर(मेज, कुर्सी, अलमारी आदि), कृषि उपकरण, बिजली के सभी प्रकार के उपकरण/सामान, लोहे एवं प्लास्टिक का स्क्रेप, एलुमिनियम, ब्रास, कॉपर आदि का स्क्रेप, पुरानी बोरिया, प्लास्टिक के कट्टे, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, अखबार-पुराने कागज के टुकड़े, एवं पुराने टायर इत्यादि यदि कोई है तो उपरोक्त वस्तुओं/सामानों को कंडम करने से सम्बन्धित कार्यवाही **30 नवम्बर 2024** तक पूर्ण कर ले।

संभागीय/अनुभाग/इकाई स्तर पर अनुपयोगी, अनुपयोगी, अप्रचलित और अधिशेष भंडार की निंदा(कंडम) के लिए अनुमोदित गठित समिति निम्नप्रकार है :-

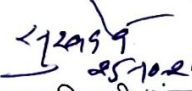
- | | |
|---|-----------|
| 1. प्रभाग/अनुभाग/इकाई का प्रमुख- | : अध्यक्ष |
| 2. नियंत्रक या नामांकित कर्मचारी/अधिकारी | : सदस्य |
| 3. वरिष्ठ प्रशा.अधिकारी (क्रय एवं भंडार) या नामांकित कर्मचारी/अधिकारी | : सदस्य |
| 4. प्रभारी, अनुरक्षण अभियंता या नामांकित तकनीकी अधिकारी | : सदस्य |

या

प्रभारी, कंप्यूटर सेंटर या नामांकित तकनीकी अधिकारी
(इलेक्ट्रॉनिक/आईटी से संबंधित वस्तुओं के मामले में)

सभी प्रभागो, अनुभागो के अध्यक्षों, प्रभारियो से निवेदन किया जाता है कि अनुपयोगी, अप्रचलित और अधिशेष वस्तुओं के निंदा(कंडम) के लिए सलग्न **फॉर्म न.10 के प्रारूप** के अनुसार वस्तुओं/सामानों का पूर्ण विवरण जैसे: **क्रय करने की तिथि, कंडम करने का कारण, PI/UPI न., धन का स्रोत (Source of Fund)**, एवं नकदी एवं देय अनुभाग से जारी कंडमनेशन आदेश की प्रतिलिपि आदि होना आवश्यक है, इसके अभाव में केन्द्रीय भंडार द्वारा उपरोक्त वस्तुओं/सामानों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त वस्तुओं/सामानों को केन्द्रीय भंडार में जमा कराने की तिथि एवं नीलामी की तिथि के बारे में अतिशीघ्र सूचित कर दिया जायेगा।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।


प्रशा.अधिकारी (भंडार)

प्रतिलिपि वितरण:-

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. संस्थान के सभी प्रभागो, अनुभागो के अध्यक्षों/प्रभारीओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहा.प्रशा.अधिकारी, नकदी एवं देय-III अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी, कंप्यूटर सेंटर, को संस्थान की वेबसाइट एवं ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोड करने हेतु।

FORM GFR-10

[See Rule-217(iii)]

Report of Surplus, Obsolete and Unserviceable Store for Disposal

Item No.	Particulars of Stores	Qty/ Weight	Book Value/ Original Purchase Price	Condition and Year of Purchase	Source of Funds	PI/UI No.	Mode of disposal (Sale, public auction or Otherwise)	Remarks/ Reserve Price
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01								
02								

On the inspection of the above equipment's (S) the committee constituted recommends that the equipment's(S)/stores(S) may be declared condemned due to following reasons

1. The prescribed or stipulated life period of the equipment's (S) is over.
2. The equipment's(S) has / have not become obsolete/ surplus/ unserviceable on account of negligence, fraud or mischief on the part of council's staff.
3. The condemnation of the equipment's(S) is/ are due to normal wear or tear, excessive use in Public interest, accident, fire, flood and others cause, damage due to insects, rate etc.
4. The equipment's (S) is/ are beyond economical repairs.
5. Equipment(S) no longer required due to reason unserviceable.

1. Dr./Sh..... Chairman
2. Comptroller / Rep. Member
3. Sr.AO (P & C. Store) / Rep. Member
4. Expert from ME & Comp. Centre Member
5. Sh..... Member Secretary(I.O.)

Signature of the Head/ In charge

Name of Div./Section.....

Date:

APPROVED**DIRECTOR**